



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)
ई - मेल: apccf-lm.eg@gov.in

दूरभाष: 0771 - 2512840

रायपुर, दिनांक 06/08/2019

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-705/1969

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

- विषय: - **Diversion of Forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Amarpur to Chirmiri Road Widening & Upgrading area - 10.469.**
- संदर्भ: - पंजीयन क्रमांक - **FP/CG/Road/ 8090/ 2014**
मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.वि./न.क्र.- 89/2019/ 967 दिनांक 14.06.2019

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा अनुशांसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नानुसार सुधार की आवश्यकता है:

1. वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल का प्रपत्र-3 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं गया है। निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन दें - उदाहरण के लिये 2 पृष्ठीय नमूने की छाया प्रति संलग्न है।
2. मार्ग की कुल लंबाई 16 कि. मी. है (प्रस्ताव के पृ. क्र.-24) या 12.40 कि.मी. (प्रस्ताव के पृ. क्र.-21) - स्पष्ट करें।
3. वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये चयनित समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे. ग्राम ढोढीबहरा का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण बैकुण्ठपुर द्वारा जारी किया गया है जो मान्य नहीं है। वन मंडलाधिकारी कोरिया का स्थल निरीक्षण के आधार पर जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रेषित करें।

संलग्न:- प्रपत्र-3 का नमूना 02 पृष्ठीय

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 06/08/2019

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-705/1970
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

संलग्न:- वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल, कोरिया, छत्तीसगढ़।
प्रपत्र-3 का नमूना 02 पृष्ठीय

क्रमांक 1474 / दिनांक 06/09/19
मुख्य वन संरक्षक
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल, कोरिया, छत्तीसगढ़।
प्रपत्र-3 का नमूना 02 पृष्ठीय

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाइन निर्माण हेतु		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़		
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाइन निर्माण हेतु		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. वन विकास निगम	चिकनी से प्रतापपुर
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	परिक्षेत्र का नाम	वन खंड	कक्ष क्रमांक /ख0क0
	(क) आरक्षित वन	-	-	-
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	घुई	चिरवनपाट	पी 226
		घुई	माटीगढा (पार्ट)	पी 102
			योग:-	3.552
		वन विकास निगम को हस्तांतरित क्षेत्र	चिकनी	पी 219
			योग:-	6.032
			कुल योग:-	9.584
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	निरंक		
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	निरंक		
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनो का प्रकार	साइट क्वालिटी	साल
				IVb
		घनत्व		0.5
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	संलग्न है। आवेदित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कुल 1176 वृक्ष खडे है।		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	साल प्रजाति का प्राकृतिक पुनरुत्पादन अच्छा है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	प्रस्तावित पारेषण लाइन अम्बिकापुर वाइफनगर पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग को ग्राम -चन्दौरा में पार करती है।		

B.P. Singh
(I.F.S.)


Divisional Forest Officer
Surajpur Division, Surajpur (C.G.)

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	प्रास्तावित पारिषण लाईन से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा 02 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	आवश्यकता नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	प्रास्तावित पारिषण लाईन में आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

// प्रमाण-पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण में द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- 132 के.व्ही. घिकनी से प्रतापपुर पारिषण लाईन
दिनांक :- 27-06-2019


B.P. Singh
 (I.F.S.)
 Divisional Forest Officer
 Surajpur Division, Surajpur (C.G.)